न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 19/2017

अनवान :—

श्री हंसराज साघ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री अरूण कुमार पुत्र श्री रूपलाल मूंधड़ा मैसर्स हनुमान स्टोर टेउ सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से — श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थी की ओर से — श्रीमती मधुबाला अधिवक्ता

—: निर्णय :— दिनांक 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री हंसराज साघ, खाघ सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.08.16 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स हनुमान स्टोर टेउ सुडसर तहसील श्रीडूंगरगढ़— प्रो श्री अरूण कुमार पुत्र श्री रूपलाल मूंधड़ा के यहां निरीक्षण दौरान आमजन बिक्री हेतु पैकीट्स में पैक 500 एमएल के करीब 6 घी (बिनोला) रखा था। जिसका बैच संख्या 032 पैकिंग दिनांक मई 16 तथा उत्पादन स्थल श्री अनु मिल्क प्रोडकक्टस लि. जी— 1 (48—49) बडारना वी के आई ए जयपुर राजस्थान था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड घी (बिनोला) में से प्रत्येक 500 एमएल के चार पैकेटों की कुल कीमत 768/— रूपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता, गवाह एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर प्राप्त नमूना घी (बिनोला) पर लैबल तैयार कर उस पर विक्रेता,गवाह एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर चारों पर एक—एक लेबल फार्म गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक पैकेटों पर मोटा मजबूत खाकी कॉगज लपैट कर गोंद चिपका कर प्रत्येक पैक्ड नमूना पर डीओ/सीएमएचओ द्वारा जारी पेपर स्लिप जे— 1258 हस्ताक्षरित थी, को बोटम टू टोप प्रक्रिया द्वारा गोंद से चिपकाया तथा नियमानुसार प्रत्येक पैक्डस को सील चपड़ी कर प्रत्येक को पेपर स्लिप को गोंद से चिपकाया जिस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे पढ़कर, पढ़ाकर समझा कर विक्रेता,गवाह एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त सील्ड नमूना भाग में से एक सीलबन्द नमूना भाग मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 07.10.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी (बिनोला) अनसेफ स्तर का पाया गया । तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर इस घी (बिनोला) की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 28.11.2016 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (बिनोला) का विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्रीमती मधुबाला एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (बिनोला) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां घी (बिनोला) अनसेफ पाया गया। तदन्तर स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी, पुना के यहां से भी जांच करवाई गई जिसमें घी (बिनोला) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी पुने की रिपोर्ट क्रमांक CFL/DO-389/16/1080/2016 दिनांक 28.11.2016 अनुसार Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 47.8 व Reichert Value Shall be Min. 26.0 की तुलना में 2.24 तथा Baudouin Test - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी (बिनोला) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. इसके विपरीत अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की जांच रिपोर्ट का प्रतिरोध कर बचाव में निवेदन किया कि अप्रार्थी को जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस प्राप्त हुआ है वह न्यायोचित नहीं है क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शुद्धता की जांच हेतु घी बिलौना ब्राण्ड, आधा लीटर मूल पैक के नमूने लिये थे और जांच नमूने में कोई मिलावट नहीं है नमूने में लिया गया घी बिलौना किसी भी रूप में सबस्टेण्डर्ड नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व दस्तावेज पेश किये है उनसे प्रथम दृष्ट्या मामला सबस्टेण्डर्ड अप्रार्थी के खिलाफ नहीं बनता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनीकरण की कार्यवाही सही नहीं की गई थी, जो नमूना पैकेट लिया गया था उनको खोलकर किसी साफ पात्र में लिया जाकर नमूना घी को एकसार मिलाकर चार शिशीओं में भरा जाना चाहिए था जिससे नमूना नियमानुसार लिया जाकर सेम्पल जांच भेजा जाता तो घी मानक स्तर का पाया जाता। चूंकि नियमानुसार नमूना नहीं लिया गया है जिस कारण से रिपोर्ट सही नहीं आई है। नमूना भ्जिवाये जाने से पूर्व करीब चार महिनों तक उचित तापमान व वातावरण में नहीं रखा गया जिससे द्वितीय नमूना की आयी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को मान्य नहीं है। उक्त नमूनों की दोनों जांच रिपोर्टो के आये परिणामों में अत्यधिक भिन्नता होने से जांच रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो सकती है। अन्त में अप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी ने नयी दुकान खोली थी तथा कम्पनी मार्केटिंग व्यक्ति ने घी बिलौना ब्राण्ड का सेम्पल दिखाने के वास्ते दुकान पर माल रख कर गया था जो कि विक्रय के लिए नहीं था तथा दुकान का कोई कारोबार शुरू भी नहीं किया गया था परन्तु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वास्ते जांच नमूना लिया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं आयी है। जिससे अपराध क्षमा किया जाना न्यायोचित एवं प्रार्थनीय है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अप्रार्थी के खिलाफ उक्त आवेदन पत्र निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि निरीक्षण कार्य 29.08.2016 को 4.30 पीएम अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण 500 एमएल के करीब 6 घी(बिनोला) आमजन के विक्रय हेतु रखा गया था। इस घी (बिनोला) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाह की उपस्थिति में लिया गया तथा विक्रेता ने दूसरा गवाह नहीं लाया। उक्त नमूना पैकेट जो प्रत्येक 500 एमएल घी(बिनोला) के चार पैकेट लिया गया जिसकी कुल कीमत 768/– रूपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से बिल प्राप्त किया गया था। प्राप्त घी (बिनोला) का नमूना चार भागों में विक्रेता व गवाह के सामने नियमानुसार पृथक–पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये थे। निरीक्षण स्थल पर ही मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई इसलिए अप्रार्थीपक्ष का यह कथन मान्य नहीं कि नमूना लिये जाने के संबंध में प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई हो। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार सूचित किया गया था। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच के संबंध में निवेदन किये जाने पर दूसरा नमूना जांच परिणाम हेतु सीएफएल लेब पूने को भेजा गया। प्रथम जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ अनसेफ पाया गया एवं द्वितीय जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। विभागीय प्रतिनिधि का इस संबंध में कथन है कि प्रथम नमूना यथासंभव बाद जांच भेजा गया था जिसका परिणाम आने के बाद द्वितीय नमूना अप्रार्थीपक्ष के निवेदन पर भेजा गया था। नमूना जांच में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका लाभ अप्रार्थीपक्ष नहीं उठा सकता क्योंकि दोनों ही जांचों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीपक्ष के यहां से वरवक्त निरीक्षण जो नमूने लिये गये थे उसमें उसकी जांच से मिलावट होना पाया गया है अर्थात पहली जांच में अनसेफ होना एवं द्वितीय जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। ऐसा पदार्थ एक मिलावट का पदार्थ है जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। उक्त दोनों जांच रिपोर्टो से अप्रार्थीपक्ष के यहां से लिये गये नमूनों में शुद्धता नहीं पाई गई है। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)(i) का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 29.08.2016 को 4.30 पीएम पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण 500 एमएल के करीब 6 पैकेट घी (बिनोला) मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूनें लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण प्रार्थी द्वारा की गई है। नमूनें अप्रार्थी एवं गवाह की उपस्थिति में लिये गये है। लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 07.10.2016 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

अनसेफ फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। जिसकी रिपोर्ट 28.11.2016 प्राप्त हुई जिसके जांच परिणाम अनुसार घी (बिनोला) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि इन रिपोर्टो के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध कोई दोष प्रकट नहीं होता है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह कथन किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है क्योकिं प्रथम जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड होना पाया गया है जबकि स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जांच में लिये गये नमूने पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये घी(बिनोला) की सैम्पलिंग की दोबारा जांच करवाई जा चुकी है और दोनों ही रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया घी(बिनोला) अनसेफ एवं सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है। पत्रावली में डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी, पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट क्रमांक CFL/DO-389/16/1080/2016 दिनांक 28.11.2016 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये घी (बिनोला) में Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 47.8 व Reichert Value Shall be Min. 26.0 की तुलना में 2.24 तथा Baudouin Test - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया घी(बिनोला) सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का घी(बिनोला) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला घी (बिनोला) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

7. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये परिवाद कार्यवाही दायर की गई है। प्रार्थी स्टेट द्वारा परिवाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में प्रार्थी पक्ष की ओर से उल्लेखित तथ्यों का कोई ठोस खण्डन अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा घी(बिनोला) सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 50,000/– अखरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित करते है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

8. इसके साथ–साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर(प्रशा),बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * बीकानेर *